भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5538
दिनांक 27 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

वन स्टॉप सेंटर का सुदृढ़ीकरण

5538. श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल सहायता, आश्रय, कानूनी सहायता और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 'वन स्टॉप सेंटर' (ओएससी) योजना और अन्य संबद्ध योजनाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास, कौशल विकास और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से विशेष कार्यक्रम लागू करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न जिलों, विशेषकर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम और नरसिंहपुर जिलों में ऐसे सहायता केंद्रों की संख्या बढ़ाने और उनकी सेवाओं की प्रभाावशीलता में सुधार करने की कोई विशिष्ट योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा, पुनर्वास, कौशल विकास और सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और देश भर में उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाती है।

मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को सुदृढ़ करना है। मिशन शक्ति के दो मुख्य वर्टिकल हैं: महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए 'संबल' और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए 'सामर्थ्य'। मिशन शक्ति केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम और नरसिंहपुर जिलों सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया गया है।

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत और तत्काल सहायता प्रदान करता है। ओएससी इन महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, **अस्थायी आश्रय**, पुलिस सहायता और मनो-सामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है। 15वें वित्त आयोग में संकटग्रस्त महिलाओं के लिए संस्थागत सहायता तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए देश भर में कुल 1033 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। अब तक, 1,033 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) को प्रशासनिक रूप से मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 926 पूरे देश में कार्यशील हैं। शक्ति सदन संकटग्रस्त महिलाओं, जिनमें मानव दुर्व्यापार से बचाई गई महिलाएं भी शामिल हैं, के लिए एक एकीकृत राहत और **पुनर्वास** केंद्र है। वर्तमान में, देशभर में 419 शक्ति सदन कार्यशील हैं।

बालिकाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 'स्किल इंडिया मिशन' की शुरुआत की है। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत देशभर में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत महिलाओं को कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कई पहल/उपाय किए हैं, जिनमें महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर शामिल हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया योजना, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन आदि।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे- एनआरएलएम) के तहत महिला स्वयं सहायता समूह रोजगार और स्वरोजगार के लिए ग्रामीण परिदृश्य में बदलाव ला रहे हैं। इसी प्रकार, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) शहरी क्षेत्रों के लिए है।

सरकार महिलाओं की रोजगार क्षमता में सुधार लाने के लिए नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं - केआईआरएएन (वाइज-किरन), सर्ब-पावर (अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना) आदि जैसी महिला केंद्रित योजनाएं भी कार्यान्वित कर रही है।
